

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 105/सेक्टर 19 मुग-2000

यह प्रमाणित किया जाता है कि इण्डियन इन्फ्लेक्शन रुक
अलफ्रेड जोसागटी जिला सीकर का
राजस्थान सरकार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से प्राप्त
दिनांक 23/05/2000 माह अक्टूबर सन् एक हजार नौ सौ
सीकर में दिया गया।

(सी. एम्. शर्मा)
रजिस्ट्रार (मुख्यालय)
सीकर



राजकीय मुख्यालय, परसपुर।